अध्याय III
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

यह अध्याय, वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सावि एवं लेनि), 2012 के नियम 284 एवं 286 में निर्धारित किया गया है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिये प्रदान किये गये अनुदानों[1] के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये।

विभिन्न केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2017-19 के दौरान जारी की गई सहायतार्थ अनुदान **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1 : स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई अनुदाने

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19
(अ) स्थानीय निकाय		
नगर निगम एवं नगरपालिकाऐं	3,695.48	3,811.13
पंचायती राज संस्थान	18,550.27	14,834.25
योग (अ)	**22,245.75**	**18,645.38**
(ब) अन्य		
शैक्षणिक संस्थान, (अनुदानित विद्यालय, अनुदानित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि)	1,283.29	1,452.88
विकास प्राधिकरण	11.68	13.65
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	918.96	1,241.07
अन्य संस्थान	10,525.42	13,509.23[2]
योग (ब)	**12,739.35**	**16,216.83**
योग (अ+ब)	**34,985.10**	**34,862.21**

स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा संकलित वाउचर ।

---

1 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 285 (4) के अनुसार, सामान्य उद्देश्य यथा राज्य निधि अथवा केन्द्रीय सहायता योजनांतर्गत वेतन एवं स्थापना व्यय, हेतु जारी किये गये अनुदानों के मामलें में उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नही है।

2 इसमें मुख्यतया: (i) सहकारी संस्थानों: ₹ 3,700 करोड़; (ii) शिक्षा: ₹ 2,214 करोड़; (iii) परिवार कल्याण: ₹ 1,906 करोड़; (iv) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत: ₹ 1,492 करोड़ तथा (v) फसल कृषि-कर्म: ₹ 1,037 करोड़ हेतु दिया गया अनुदान शामिल है।

यह दर्शित हुआ कि वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य/विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ₹ 29,868.64 करोड़[3] का सहायतार्थ अनुदान प्रदान किया गया था। यद्यपि, मार्च 2019 तक विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किये गये अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागों द्वारा महालेखाकार (लेखा व हक) को दो विभागों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एसजेईडी) (₹ 44.45 करोड़) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (₹ 1.13 करोड़) के अलावा प्रस्तुत नहीं किये गए थे। महालेखाकार (लेखा व हक) विशिष्ट अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के मामले में वित्त विभाग के साथ समन्वय कर रहा है। इसके अलावा, प्रासंगिक नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये, महालेखाकार (लेखा व हक) को विशिष्ट अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदान ग्रही विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति की शर्तो को अनिवार्य रूप से शामिल करने के संबंध में कार्यालय द्वारा वित्त विभाग के साथ पत्राचार भी किया जा रहा है।

इस प्रकार, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई गई सहायतार्थ अनुदान से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखाओं में प्रकट नहीं किये जा सके। इसके अलावा, 2004-05 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन दो विभागों (तालिका 3.3) को प्रदान की गई अनुदानों (₹ 76.56 करोड़) में से, विभाग से कुल मिलाकर ₹ 5.97 करोड़ के 195 उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2019 तक महालेखाकार (लेखा व हक) को प्राप्त होने बकाया थे। इन दो विभागों की वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति **तालिका 3.2** में सांराशीकृत है।

तालिका 3.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

विलम्ब की सीमा वर्षों में	30 जून 2019 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि
0-1	146	5.21
1-3	6	0.12
3-5	12	0.07
5-7	20	0.33
7-9	10	0.12
9 एवं अधिक	1	0.12
योग	**195**	**5.97**

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बकाया राशि का लगभग 94.97 प्रतिशत मुख्यत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (185 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 5.67 करोड़) से सम्बन्धित थी। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभागवार विवरण **तालिका 3.3** में सांराशीकृत किया गया है।

[3] सामान्य उद्देश्यों यथा वेतन (₹ 5,116.24 करोड़) तथा कुछ अन्य विशेष अनुदानों (₹ 0.22 करोड़) के लिए उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि को छोड़ कर जहाँ वित्तीय नियमों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं थी।

तालिका 3.3: विभाग-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

क्र. सं.	विभाग/ मुख्य शीर्ष	अनुदान जारी करने का वर्ष	जारी किया गया कुल अनुदान		उपयोगिता प्रमाण-पत्र			
					प्राप्त		बकाया	
			संख्या	राशि (₹ लाख में)	संख्या	राशि (₹ लाख में)	संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	समाज कल्याण (2225)	2004-05	308	235.47	307	223.74	1	11.73
2	समाज कल्याण (2235)	2017-18	134	4,463.88	125	4,444.92	9	18.96
3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (3425)	2009-10	55	84.65	53	83.80	2	0.85
		2010-11	35	176.76	27	166.24	8	10.52
		2011-12	38	752.67	30	735.04	8	17.63
		2012-13	43	1,038.54	31	1,022.58	12	15.96
		2013-14	35	146.67	26	140.26	9	6.41
		2014-15	56	57.66	53	56.90	3	0.76
		2015-16	35	84.71	29	72.35	6	12.36
		2017-18	173	615.29	36	112.97	137	502.32
	योग		**912**	**7,656.30**	**717**	**7,058.80**	**195**	**597.50**

इन दो विभागों में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या तथा राशि वर्ष 2017-18 में 62 उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि ₹ 2.34 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 195 उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि ₹ 5.97 करोड़ हो गयी।

इसके अलावा, पंचायती राज संस्थानों/नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं जिन्होने 63.56 प्रतिशत अनुदान प्राप्त किया को स्वीकृत अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत नहीं किये गये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सूचित (फरवरी 2020) किया कि वर्ष 2017-18 के दौरान स्वीकृत राशि ₹ 2,008.44 करोड़ में से, राशि ₹ 1,441.74 करोड़ उपयोग की गई तथा राशि ₹ 566.70 करोड़ अव्ययीत शेष है जिसे अगले वर्ष देय अनुदानों के समक्ष समायोजित किया जायेगा।

इसलिये, यह स्पष्ट है कि विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे है तथा उनका संधारण कर रहे है। पंरतु इन उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्वीकृतियाँ एवं विवरण लेखों में सम्मिलित करने के लिए महालेखाकार (लेखा व हक) को नहीं भेजे जा रहे है।

महालेखाकार (लेखा व हक) को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में, यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई अनुदान का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया था। इसके अलावा, उपयोगिता प्रमाण पत्रों का गैर-प्रस्तुतीकरण यह दर्शाता है कि विभागीय अधिकारी सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए नियमों की पालना करने में विफल रहे।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण का लंबित रहना निधियों की जालसाजी एवं दुर्विनियोजन की जोखिम से भरा रहता है।

सिफारिश 15:

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी विभाग निर्धारित समय में सहायतार्थ अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत करें तथा यह आश्वस्त करे कि अनुदान निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किये गये है।

3.2 स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

3.2.1 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें (डीपीसी)) एक्ट, 1971 अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत जिन संस्थाओं की लेखा परीक्षा की जानी है, की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक वर्ष (i) विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता (ii) प्रदान की गई सहायता का उददेश्य और (iii) संस्थाओं के कुल व्यय के संबंध में विस्तृत सूचना, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 का विनियम 84 प्रावधित करता है कि सरकार एवं विभागों के प्रमुख जो निकायों एवं प्राधिकरणों को अनुदान एवं/और ऋण संस्वीकृत करते हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में उन निकायों एवं प्राधिकरणों की सूची, जिनको कि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल समेकित राशि ₹ 10 लाख और अधिक का अनुदान एवं/और ऋण का भुगतान किया गया था, का विवरण मय (क) सहायता की राशि, (ख) उददेश्य जिसके लिए सहायता दी गयी एवं (ग) निकाय एवं प्राधिकरण का कुल व्यय, इंगित करते हुए लेखापरीक्षा को प्रेषित करेंगे।

विभिन्न स्वायत्त निकायों (एबी) द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखों के आधार पर सीएजी (डीपीसी) एक्ट, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा की जाती है। इस धारा के अन्तर्गत 149 स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण[4] शामिल है। इनकी लेखापरीक्षा लेनदेनो, परिचालन गतिविधियों और लेखों, प्रणालियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण आदि के संबंध में की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 36 निकायों/प्राधिकरणों से संबंधित कुल 62 लेखों (गत वर्षों के लेखों सहित) की लेखापरीक्षा की गई थी।

यद्यपि, वर्ष 2017-18 तक 64 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 96 वार्षिक लेखें जून 2019 तक प्राप्त नहीं हुये थे। निकायों/प्राधिकरणों के विभाग-वार विवरण जिन्होंने लेखापरीक्षा के लिये अपने वार्षिक लेखों को प्रस्तुत नहीं किया था,

[4] महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में उद्योग विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग के 7 निकाय/प्राधिकरण आते है।

परिशिष्ट 3.1 में दिये गये है। प्रस्तुतीकरण के अभाव में लम्बित रहे वार्षिक लेखों का अवधिवार विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया हैं।

तालिका 3.4: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखों का अवधि-वार विवरण

विलम्ब वर्षों में	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या
0-1	51
1-3	9
3-5	2
5 वर्ष से अधिक	2
योग	**64**

जैसाकि, तालिका से स्पष्ट है कि 62 निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण में 1 से 5 वर्षों के मध्य विलम्ब था, जबकि दो निकायों/प्राधिकरणों के संबंध में पाँच वर्ष से अधिक का विलम्ब था।

इसके अलावा, अधिकांश विभागों ने उस प्रयोजन को अवगत नहीं कराया जिसके लिये सहायता स्वीकृत की गई थी जैसाकि लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 में अभिनिर्धारित है। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा विधानमण्डल/सरकार को उनके द्वारा स्वीकृत/भुगतान किए गए अनुदान के उपयोग के तरीके के बारे में, विशेष रूप से विचलन तथा गलत उपयोग के प्रकरणों पर आश्वासन प्रदान करने में सक्षम नहीं थी।

3.2.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

राज्य में 41 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों[5] के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) एक्ट 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। ये स्वायत्त निकाय राज्य सरकार द्वारा कानूनी सहायता, मानवाधिकार, खादी के विकास, बिजली विनियमन तथा निर्माण कर्मकारों के कल्याण के क्षेत्र में स्थापित की गई है।

भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (बीओसीडब्ल्यू) के वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लेखे तथा दो जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए), चित्तौडगढ़ एवं सिरोही के वर्ष 2017-18 के लेखो के अतिरिक्त सभी 41 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2017-18 तक के लेखे जून 2019 तक प्राप्त हो चुके थे।

राजस्थान राज्य विविध सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के संबंध में वर्ष 2017-18 तक की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौडगढ़ की

[5] राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग तथा 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

वर्ष 2015-16 तक की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही की वर्ष 2016-17 तक की तथा भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की वर्ष 2015-16 तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) जारी किये जा चुके हैं।

लेखापरीक्षा प्राधिकृत करने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने तथा इसे विधायिका के पटल पर रखने की स्थिति को ***परिशिष्ट 3.2*** में दर्शाया गया है।

3.3 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों का निष्पादन करने वाले कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों को वित्तीय संचालनों के कार्य परिणामों हेतु निर्धारित प्रारूप में वार्षिक प्रोफॉर्मा लेखे तैयार किये जाने अपेक्षित होते हैं, ताकि सरकार उनके कार्यकलापों का आंकलन कर सके। सरकार में, विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना है कि उपक्रम ऐसे लेखाओं को तैयार कर. और उन्ह. वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने के छह माह के भीतर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत करें। मार्च 2019 तक, 10 में से केवल एक उपक्रम द्वारा वर्ष 2017-18 तक के लेखें प्रस्तुत किये गये तथा एक उपक्रम द्वारा वर्ष 2018-19 तक के लेखे प्रस्तुत किये गये।।

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखे उनके व्यवसाय के संचालन में उनके समग्र वित्तीय परिस्थितियाँ और दक्षता को प्रदर्शित करते है। सरकार द्वारा उस वर्ष के लिए किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति, जिसके लिये प्रोफार्मा लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया है एवं इन उपक्रमों की संचित हानि को ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक 10 उपक्रमों के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया जिसमें राज्य सरकार द्वारा राशि ₹ 16,885.83 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से, विगत पाँच वर्षो से अधिक समय से लगातार हानि में चल रहे आठ उपक्रमों की संचित हानि ₹ 13,857.86 करोड़ रही। अधिकांश संचित हानि (99.91 *प्रतिशत*) राजस्थान जलापूर्ति एवं मल निकास प्रबंधन मण्डल से संबंधित है, जो कि राज्य में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के नेटवर्क के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति एवं मल निकास के रखरखाव का काम करती है।

सिफारिश 16:

विभागों के प्रमुख लेखों के अंतिमीकरण में देरी के कारणों का पता लगाने तथा इन उपक्रमों की दक्षता और जवाबदेयता में सुधार के लिए समय से लेखे तैयार करने एवं प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता हेतु सुधारात्मक उपाय आरम्भ करने चाहिये।

3.4 दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) के नियम 20 में उल्लेखित है कि यदि किसी कोषागार या किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में, सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में धारित सार्वजनिक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, मुद्रांकों, भण्डार या अन्य सम्पत्तियों की, दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान या अन्य किसी प्रकार से हानि हुई है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को तुरन्त भेजी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक विभिन्न विभागों के दुर्विनियोजन/गबन (328) एवं राजकीय धन की चोरी/हानि (503) के राशि ₹ 79.45 करोड़ के 831 प्रकरण प्रतिवेदित किये गये, जिन पर अंतिम कार्यवाही लम्बित (जून 2019) थी। दुर्विनियोजन, हानि एवं जालसाजी के अधिकांश मामलें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (₹ 22.75 करोड़), शिक्षा विभाग (₹ 14.25 करोड़), राजस्व विभाग (₹ 13.09 करोड़) से संबंधित है। इन लम्बित प्रकरणों का विभाग-वार एवं अवधि-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.4*** में तथा इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है। लम्बित प्रकरणों का अवधि-वार विवरण तथा प्रत्येक श्रेणी में चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन के लम्बित प्रकरणों की संख्या जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट हुआ, को **तालिका 3.5** में सांराशीकृत किया गया है:

तालिका 3.5: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि का विवरण

लम्बित प्रकरणों का अवधि वार विवरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ में)
0-5	219	37.75	सामग्री की चोरी/हानि	503	21.19
5-10	138	17.24	दुर्विनियोजन/गबन	328	58.26
10-15	163	10.30			
15-20	124	7.31			
20-25	108	4.41	-	-	-
25 एवं अधिक	79	2.44	-	-	-
योग	**831**	**79.45**	**कुल लम्बित प्रकरण**	**831**	**79.45**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों को **तालिका 3.6** में वर्गीकृत किया गया है:

तालिका 3.6: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के बकाया प्रकरणों के विलम्ब के कारणों का वर्गीकरण

विलम्ब का कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ म.)
विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित	308	39.37
वसूली/अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	447	33.96
न्यायालयों में बकाया	76	6.12
योग	**831**	**79.45**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

सिफारिश 17:

जालसाजी एवं दुर्विनियोजन के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रता से निपटायी जानी चाहिये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

3.5 निजी निक्षेप खाते

निजी निक्षेप (पीडी) खाता, लोक लेखे के जमा शीर्ष के अन्तर्गत संबंधित कोषालय के साथ खोले जाने वाला एक खाता है।ये खाते एक बैंक खाते की तरह कोषालय में अनुरक्षित किये जाते हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 260(1) के अनुसार सरकारी लेखे में कोई भी धनराशि तब तक निक्षेप के लिए प्राप्त नहीं की जायेगी, जब तक कि उन्हें किन्ही कानूनी उपबंधों या सरकार के किन्ही सामान्य आदेशों के द्वारा सरकार की अभिरक्षा में रखना आवश्यक अथवा प्राधिकृत न किया गया हो।

वर्ष 2018-19 के दौरान, पीडी खाते के मुख्य शीर्ष 8443-सिविल निक्षेप-106-निजी निक्षेप में राशि ₹ 31,821.06 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये, जो कि कुल व्यय (₹ 1,87,524 करोड़) का 16.9 प्रतिशत था, जिसमें से ₹ 24,914.25 करोड़ राज्य की समेकित निधि को नामे (डेबिट) करके हस्तानान्तरित किये गये। कुल राशि में से, ₹ 5,002.11 करोड़ (20.08 प्रतिशत) की राशि मात्र मार्च 2019 में पीडी खातों में हस्तान्तरित/जमा की गई। राज्य बजट नियमावली के अनुसार बजट अनुदान को समाप्त होने से बचाने के लिये राशि आहरित करने की कार्यप्रणाली तथा सार्वजनिक खातों या बैंक में इस तरह की धन राशि को रखना निषिद्ध है। मार्च माह में निजी निक्षेप खाते में व्यापक राशि का हस्तान्तरण अपर्याप्त बजटरी नियंत्रण को दर्शाता है।

31 मार्च 2019 को राज्य सरकार के इन पीडी खातों (प्रचलित एवं अप्रचलित)की स्थिति **तालिका 3.7** में दी गई है।

तालिका 3.7: प्रचलित एवं अप्रचलित पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीडी खातों की संख्या (01 अप्रैल 2018 को)		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बन्द		पीडी खातों की संख्या (31 मार्च 2019 को)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्रचलित निजी निक्षेप खाते	1,646	9,536.59	253	31,822.20*	36	28,033.38**	1863	13,325.41
अप्रचलित निजी निक्षेप खाते (पाँच वर्षों से अधिक)	20	1.98	36	0.18	20	1.98	36	0.18
योग	**1,666**	**9,538.57**	**289**	**31,822.38**	**56**	**28,035.36**	**1899**	**13,325.59**

* अप्रचलित पीडी खाते से ₹ 1.14 करोड़ हस्तांतरित राशि सम्मिलित है।

** बंद पीडी खाते ₹ 0.84 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान पीडी खातों में राशि ₹ 31,821.06 करोड़ हस्तानान्तरित/जमा की गई। कुल हस्तानान्तरित राशि में से 1,899 पीडी खातों में ₹ 13,325.59 करोड़ का अव्ययीत शेष था। इनमें, 21 पीडी खाते[6] (प्रत्येक में ₹ 100 करोड़ और अधिक का शेष), जिनमें ₹ 7,685.59 करोड़ की राशि अर्थात् कुल अव्ययीत शेषों का 57.68 प्रतिशत था, सम्मिलित है।

अवधि-वार पीडी खातों का विवरण **तालिका 3.8** में दिया गया है:

तालिका 3.8: 31 मार्च 2019 तक पीडी खातों का अवधि-वार विवरण

क्र.सं.	पीडी खातों का आयु सीमा	पीडी खातों की संख्या	31 मार्च 2019 तक राशि (करोड़ में)
1.	0-1 वर्ष	245	215.67
2.	1-3 वर्ष	216	3,903.42
3.	3-5 वर्ष	50	305.41
4.	5-10 वर्ष	526	2,197.22
5.	10 वर्ष से अधिक	667	5,687.50
6.	विवरण उपलब्ध नहीं	195	1,016.37
	योग	**1,899**	**13,325.59**

पीडी खातों के विस्तृत विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें दर्शित हुई:

3.5.1 राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित नयी पेंशन योजना के लिए पीडी खाता

नई पेंशन योजना (एनपीएस)[7] को लागू करने के लिए, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रत्येक कोषालय कार्यालय में एनपीएस अंशदान के लिए बजट

[6] राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर (सचिवालय) (₹ 1,057.06 करोड़); उप प्रबंधक, राजस्थान राज्य कॉरपोरेशन बैंक, जयपुर शहर (₹ 986.49 करोड़); सचिव, राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, जयपुर (शहर) (₹ 873.02 करोड़); राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 616.93 करोड़); राजस्थान शहरी ढ़ाँचागत वित्त एवं विकास निगम, जयपुर (सचिवालय) (₹ 578.67 करोड़); डीएमएफटी, भीलवाड़ा (₹ 479.95 करोड़); डीएमएफटी, राजसमन्द (₹ 457.59 करोड़); निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर (₹ 451.74 करोड़); निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर (सचिवालय) (₹ 414.09 करोड़); प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर (सचिवालय) (₹ 226.10 करोड़); इन्दिरा आवास योजना, जयपुर (सचिवालय) (₹ 198.48 करोड़); आयुक्त, जन जाति विकास विभाग, उदयपुर (₹ 164.05 करोड़); कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कोटा (₹ 161.09 करोड़); अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर (₹ 154.68 करोड़); चेयरमैन, डीएमएफटी फण्ड, अजमेर (₹ 149.74 करोड़); राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर शहर (₹ 146.95 करोड़); प्रबन्ध निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पुल/सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 126.52 करोड़); डीएमएफटी, उदयपुर (ग्रामीण) (₹ 126.43 करोड़); डीएमएफटी, चित्तौड़गढ़ (₹ 114.42 करोड़); डीएमएफटी, पाली (₹ 101.56 करोड़) एवं राजस्थान भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर शहर (₹ 100.03 करोड़)।

[7] नयी अंशदायी पेंशन योजना, नेशनल पेंशन प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है।

शीर्ष 8443-106-00 के अन्तर्गत अलग से एक पीडी खाता (479) खोलने का निर्णय (12 अक्टूबर 2011) लिया। राज्य सरकार/पंचायती राज के कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के अंशदान उनके वेतन से काटा जायेगा। राज्य बीमा तथा प्रावधायी निधि विभाग द्वारा कटौती के अंक मिलान के बाद राशि ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इण्डिया) को आगे हस्तानान्तरण करने के लिये पीडी खाता संख्या 479 में हस्तानान्तरित की जायेगी। चूंकि यह पीडी खाता ब्याज रहित खाता है, अत: कर्मचारी योगदान पर प्रतिफल ट्रस्टी बैंक को हस्तानान्तरण के पश्चात ही प्राप्त होगा।

वर्ष 2018-19 के लिये इस पीडी खाते के कोषालयवार अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह दर्शित हुआ कि 16 कोषालयों में ₹ 30.17 करोड़[8] का प्रारम्भिक शेष था, जो कि 20 कोषालयों में बढ़कर ₹ 90.79 करोड़[9] का अंतिम शेष हो गया।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि ₹ 90.79 करोड़ में से, डूंगरपुर कोषालय द्वारा ₹ 27 करोड़ गलती से पीडी खाते में हस्तानान्तरित किये गये थे तथा इसे अतंरण प्रविष्टि (अप्रैल 2019) द्वारा सही कर दिया गया था। मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह में 3 कोषालयों द्वारा राशि ₹ 29.32 करोड़ हस्तानान्तरित किये गये तथा अन्य कोषालयों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा था। विभाग ने आगे बताया (सितम्बर 2019) कि राशि ₹ 18.38 करोड़ लीगेसी राशि पर ब्याज से संबंधित थी तथा ₹ 0.66 करोड़ जो कि पीडी खाते को नामे की जानी थी त्रुटिवश एलआईसी को नामे कर दी गई थी तथा समायोजन प्रक्रियाधीन था। इसके अलावा, फरवरी तथा मार्च से संबंधित राशि ₹ 12.59 करोड़ के अंक मिलान की प्रक्रिया प्रगतिरत थी। शेष राशि ₹ 2.84 करोड़ के लिए, कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

यद्यपि, तथ्य यह है कि राशि ₹ 15.43 करोड़ की कटौती कर्मचारी के एनपीएस अंशदान हेतु या तो फरवरी/मार्च में या उससे पहले की गई थी, जो कि सितम्बर 2019 तक ट्रस्टी बैंक को हस्तानान्तरण करने के लिए लंबित थी। इसके परिणामस्वरूप अंशदानों के ट्रस्टी बैंक को हस्तानान्तरण तक कर्मचारी को देय लाभ का विलम्बन हुआ।

3.5.2 सरकारी कर्मचारी को भवन निर्माण ऋण के लिए पीडी खाता

राजस्थान सरकार ने दो बैंको एसबीबीजे तथा एचडीएफसी के सहयोग से सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) उपलब्ध करवाने के लिये एक नई योजना (जनवरी 2004) शुरू की। तद्नुसार, 1.4.2004 से, राज्य कर्मचारियों को इन

[8] जयपुर (ग्रामीण), अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झालावाड़, करौली, अलवर, कोटा, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, जयपुर (सचिवालय), धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर (शहर), जयपुर कोषालय कार्यालय (पेंशन) तथा चूरू।

[9] जयपुर (ग्रामीण), अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झालावाड़, करौली, अलवर, कोटा, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, जयपुर (सचिवालय), धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर (शहर), जयपुर कोषालय कार्यालय (पेंशन), डूंगरपुर, नागौर, जालौर, दौसा एवं झुन्झुनू।

बैंकों से सीधे भवन निर्माण अग्रिम दिया जाना था। बकाया एचबीए का शेष भी बैंकों को हस्तानान्तरित किया जाना था। बकाया एचबीए की वसूली बैंक के एस्क्रो खाते[10] में भेजने से पूर्व कटौतियों (मूल/ब्याज) को रखने के लिए एक निजी निक्षेप खाता (संख्या 473) खोला जाना था। योजना के अनुसार, एचबीए ऋण की ₹ 319.71 करोड़ (अप्रैल 2004 से पूर्व की) की बकाया राशि बैंक द्वारा अधिग्रहित की गई थी।

वित विभाग द्वारा निर्धारित प्रणाली (14 मई 2004) के अनुसार, कोषालय अधिकारियों को प्रबंधक, एसबीबीजे के साथ मासिक लेखों के मिलान के पश्चात् पीडी खाते (संख्या 473) से वसूली (मूल/ब्याज) का हस्तानान्तरण, इस प्रयोजन के लिये 'भवन ऋण के पुनर्भुगतान' के नाम से खोले गये एस्क्रो खाते में करना आवश्यक था।

यद्यपि, यह दर्शित हुआ कि मार्च 2019 तक पीडी खाता (संख्या 473) में पड़ी हुई मूल एवं एचबीए के ब्याज की कटौती ₹ 39.04 करोड़ एस्क्रो खाते में हस्तानान्तरण की जानी थी। जो यह दर्शाता है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों से मूल एवं ब्याज की कटौती कर ली थी, तथापि, उनके ऋण खाते में जमा होनी लंबित थी। यह उस सीमा तक राज्य सरकार के दायित्व को भी प्रदर्शित करती है।

इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट किया (मार्च 2007) कि मौजूदा एचबीए 'मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारी को ऋण' के तहत शेष राशि सरकारी खाते में शून्य कर दी जावेगी, क्योंकि सभी बकाया एचबीए को राजस्थान सरकार द्वारा एसबीबीजे को हस्तानान्तरित कर दिया गया था तथा सभी आधिक्य/समायोजन प्रविष्टियाँ सरकारी लेखों में मुख्य शीर्ष 7610 के स्थान पर पीडी खाते के माध्यम से की जावेगी। यद्यपि, यह दर्शित हुआ कि मार्च 2019 तक सरकारी लेखे (मुख्य शीर्ष 7610) में राशि ₹ 67.32 लाख का शेष पड़ा हुआ था। जो कि यह दर्शाता है कि ₹ 67.32 लाख के एचबीए ऋण को पीडी खाते या बैंक के एस्क्रो खाते में हस्तांतरित किया जाना अभी तक लंबित था।

कोष एवं लेखा विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2019) कि पेंशन विभाग द्वारा इस खाते में दिखाई गई राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भवन निर्माण अग्रिम से सम्बन्धित है। इन शेषों को पीडी खातों या बैंक के एस्क्रो खाते में हस्तानान्तरण करने की आवश्यकता है।

[10] एस्क्रो खाता दो पक्षों के बीच लेन-देन की प्रक्रिया के दौरान तीसरे पक्ष द्वारा रखे गए खाते में एक अस्थायी पास है। यह एक अस्थायी खाता है जो कि लेन-देन की प्रक्रिया पूरी होने तक संचालित होता है, जिसे खरीदार और विक्रेता के बीच की सभी शर्तों के बाद लागू किया जाता है।

3.5.3 पिछले प्रतिवेदनों में प्रदर्शित मदों का अनुपालन

पिछले वर्ष, दो पीडी खातों का विस्तृत विश्लेषण किया गया था तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2017-18 में प्रदर्शित किया गया था। अनुच्छेद 3.5.1 तथा 3.5.2 की अनुपालना की विवेचना नीचे की गयी है:

(i) जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित) वर्ष 2017-18 के अनुच्छेद 3.5.1 के अनुसार, यह ध्यान में आया कि डीएमएफटी निधियों का अंतिम शेष वर्ष 2017-18 में ₹ 1,629.02 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 2,177.54 करोड़ हो गया, जो कि 35 पीडी खातों में पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, राशि ₹ 498.17 करोड़ संबंधित डीएमएफटी निधियों में हस्तानान्तरण के लिए वर्ष 2017-18 से लंबित थे।

निदेशालय, खान एवं खनिज ने अवगत कराया (अगस्त 2019) कि अगस्त 2019 तक इस खाते में ₹ 450.89 करोड़ पड़े हुए है, इसमें से राशि ₹ 402.74 करोड़ का अंक मिलान किया जा चुका है तथा संबंधित जिलों को हस्तानान्तरण की स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी है।

डीएमएफटी के नाम से सभी जिलों में ब्याज रहित पीडी खाते खोलने के लिए वित (मार्गोपाय) विभाग ने निर्देशित (अप्रैल 2017) किया। इन ब्याज रहित पीडी खातों को बाद में ब्याज वाले पीडी खातों में परिवर्तित (जून 2018) किया जाना था।

विभाग ने अवगत कराया (अगस्त 2019) कि ब्याज रहित पीडी खातों को डीएमएफटी के नाम से ब्याज वाले पीडी खातों में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव अभी नहीं किया गया है तथा प्रक्रियाधीन है।

(ii) राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित) वर्ष 2017-18 के अनुच्छेद 3.5.2 में बताया गया है कि मार्च 2018 को राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर के पीडी खाते में राशि ₹ 355.56 करोड़ का अव्ययीत शेष था, जो मार्च 2019 में बढ़कर ₹ 616.93 करोड़ हो गया।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा विभाग को शेष राशि लौटाई जायेगी।

उपर्युक्त पीडी खातों के शेषों में वृद्धि इंगित करती है कि पिछले वर्ष के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद भी वित विभाग इन पीडी खातों में धन के अवरूद्ध रहने की जाँच करने में विफल रहा।

पीडी खातों में अव्ययीत राशि को राज्य की समेकित निधि में हस्तांतरित नही करना निधियों के दुरूपयोग, कपट तथा दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

सिफारिश 18:

वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन पीडी खातों में पड़ी निधियों को इन खातों में अवरूद्ध रखने की बजाय इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए।

3.5.4 अप्रचलित निजी निक्षेप खाते

राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 98 यह प्रदत्त करता है कि कोषधिकारी प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में प्रचलित पीडी खातों की समीक्षा करेगा तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने हेतु पिछले पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो में अप्रचलित रहे खातों की सूची तैयार करेगा एवं इनको बन्द करने की अनुशंसा करेगा।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा रखे गये पीडी खातों की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2019 को, राशि ₹ 18.35 लाख के शेष वाले कुल 36 पीडी खाते गत पाँच वर्षों (2014-19) से अप्रचलित थे। इन पीडी खातों की वर्तमान स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है। इनमें से 12 अप्रचलित पीडी खातों में पिछलें पाँच वर्षो में शून्य शेष है, जबकि 6 पीडी खातों (शून्य शेष सहित 3 पीडी खातें) को बन्द कर दिया गया है। यह कोषालय स्तर पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है। इन खातों को कोषालय द्वारा यथाशीघ्र बंद करने की आवश्यकता है।

पाँच वर्षो तक अप्रचलित रहने के बावजूद पीडी खातों को बंद नहीं किया जाना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 264(2) तथा राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 98 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

3.5.5 स्थानीय निधियों को जमा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 के अनुसार जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि (मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा-109-पंचायत निकाय निधियां के अन्तर्गत) का रखरखाव करती है, जिसमें अधिनियम के तहत वसूल हुआ या वसूली योग्य राशि और पंचायती राज संस्थानों द्वारा भिन्न रूप में प्राप्त समस्त धनराशि, जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि और स्व-राजस्व, जिसमें पंचायतों की कर प्राप्तियाँ और कर-भिन्न प्राप्तियाँ शामिल है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 79 यह परिकल्पित करती है कि नगरपालिका निधि को नगरपालिका द्वारा धारित किया जावेगा। अधिनियम के तहत

वसूल हुई या वसूली योग्य राशि और नगरपालिका द्वारा भिन्न रूप में प्राप्त समस्त धनराशि को नगरपालिका निधि के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों को जमा-102-नगरपालिका निधि में रखा जाता है।

31 मार्च 2019 को पंचायती राज संस्थानों की स्थानीय निधियों एवं नगरपालिका निधि में जमा की स्थिति **तालिका 3.9** में दी गई है।

तालिका 3.9: स्थानीय निधियों की जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद निधि (8448-109-03)				पंचायत समिति निधि (8448-109-02)				वर्ष के अंत में कुल अंतिम शेष	नगरपालिका निधि (8448-102)			
	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष		प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(5+9) 10	11	12	13	14
2012-13	1,104.83	2,356.16	2,044.31	1,416.68	470.2	884.48	704.67	650.01	2,066.69	337.78	1,545.16	1,284.08	598.86
2013-14	1,416.68	2,619.37	2,578.78	1,457.27	650.01	1,568.13	1,473.86	744.28	2,201.55	598.86	1,637.98	1,688.86	547.98
2014-15	1,457.27	2,732.06	2,753.13	1,436.20	744.28	1,289.63	1,140.81	893.10	2,329.30	547.98	1,841.45	1,772.50	616.93
2015-16	1,436.20	4,412.58	3,879.91	1,968.87	893.1	1,091.19	967.73	1,016.56	2,985.43	616.93	2,217.67	1,903.89	930.71
2016-17	1,968.87	3,044.50	3,330.05	1,683.32	1,016.56	1,546.68	1,283.19	1,280.05	2,963.37	930.71	2,647.54	2,160.13	1,418.12
2017-18	1,683.32	2,220.82	2,032.13	1,872.01	1,280.05	1,599.99	1,430.26	1,449.78	3,321.79	1,418.12	2,351.12	2,117.23	1,652.01
2018-19	1,872.01	1,781.83	2,144.98	1,508.86	1,449.78	1,776.44	1,762.27	1,463.95	2,972.81	1,652.01	2,527.25	2,775.08	1,404.17

यह देखा गया कि वर्ष 2012-19 के दौरान, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि तथा नगरपालिका निधि में वृहत् शेष उपयोग के लिए लंबित पड़े हुए है। हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान इन निधियों में अन्तिम शेष क्रमशः ₹ 1,508.86 करोड़, ₹ 1,463.95 करोड़ एवं ₹ 1,404.18 करोड़ था।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतें अनुसूचित बैंक की निकटतम शाखा में भी खाते संचालित करती है। ग्राम पंचायतों के इन खातों में पड़ी अनुपयोजित निधियों की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इनका विवरण ना तो पंचायत समिति स्तर पर ना ही जिला परिषद स्तर पर संकलित किया गया था। ये शेष कोषालय लेखा में भी संधारित नहीं किये जा रहे है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सूचित (अगस्त 2019) किया कि लेखापरीक्षा की अनुपालना में ग्राम पंचायत के खातों में अनुपयोजित निधियों के विवरण को पंचायत समिति स्तर या जिला परिषद स्तर पर संकलित करने के दिशा निर्देश जारी (कार्यालय आदेश 1929 दिनांक 30 जुलाई 2019 के द्वारा) कर दिये गये है।

3.6 ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष (नामे शीर्ष में जमा शेष तथा जमा शीर्ष में नामे शेष) उन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत ऋणात्मक शेष है, जहाँ ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिये।

उदाहरणार्थ, किसी कर्ज या अग्रिम के लेखांकन शीर्ष में, ऋणात्मक शेष अग्रिम दी गई वास्तविक राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

31 मार्च 2019 तक ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अन्तर्गत 10 मुख्य शीर्षों में राशि ₹ 1,457.92 करोड़ के 65 प्रकरणों[11] में प्रतिकूल शेष थे। प्रतिकूल शेष मुख्यत: नगरपालिकाओं/नगर परिषदों के कर्मचारियों की पेंशन निधि (₹ 1,376.65 करोड़) के अन्तर्गत थे।

सिफारिश 19:

ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के 65 प्रकरणों में प्रतिकूल शेषों की राशि ₹ 1,457.92 करोड़ का प्राथमिकता से अंक मिलान एवं समायोजन करने की आवश्यकता है।

3.7 लेखों में अस्पष्टता

लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है कि लेखों के प्रारूप, जिनमें सरकार की प्राप्तियों और व्ययों को विधानमण्डल को प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वे सभी महत्वपूर्ण हितधारियों की बुनियादी जानकारी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, पारदर्शी तरीके से सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्ति एवं व्यय को वस्तुत: दर्शा सकें।

लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' को संचालित करने का विचार तब किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। राजस्थान सरकार के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 53 मुख्य लेखाशीर्षों (जो सरकार के कार्यों को दर्शाते हैं) के अन्तर्गत ₹ 10,692.43 करोड़ लघु शीर्ष ''800-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जो संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत अभिलेखित कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का 5.74 प्रतिशत था।

मुख्य कार्यों जिनमें व्यय हुआ वित्त लेखों में अलग से नहीं दर्शाये गये परन्तु लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत शामिल किये गये, उन्हें **तालिका 3.10** में सारांशीकृत किये गये है।

[11] केन्द्र सरकार से कर्जे तथा अग्रिम (सात मामले: ₹ 12.23 करोड़), कृषि फसल कर्म के लिए ऋण (एक मामला: केवल ₹ 7,200), सरकारी कर्मचारियों को कर्जे (46 मामले: ₹ 2.71 करोड़), राज्य प्रावधायी निधि (एक मामला: ₹ 0.01 करोड़), बीमा तथा पशन निधि (एक मामला: ₹ 1,376.65 करोड़), स्थानीय निधि में जमा (एक मामला: ₹ 11.05 करोड़), सिविल जमा (एक मामला: ₹ 48.98 करोड़), उचन्त लेखा (तीन मामले: ₹ 3.22 करोड़), सरकार द्वारा जमानत जमा (एक मामला: ₹ 0.33 करोड़) तथा उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन (तीन मामले: ₹ 2.74 करोड़)।

तालिका 3.10: लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय की योजना-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि
1.	सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत जिला और अन्य सड़कें	2,537.12
2.	परिवार कल्याण के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1,261.10
3.	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के अन्तर्गत लघु और सीमांत कृषकों के अलावा कृषि आदान अनुदान	1,195.41
4.	मुख्य, मध्यम तथा सिंचाई (सभी सिंचाई परियोजनाओं) के अन्तर्गत पूंजी लेखें पर ब्याज का कल्पित समायोजन	1,093.57
5.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत लघु तथा मध्यम कस्बों के समेकित विकास के लिए स्थानीय निकायों आदि को जारी निधियाँ	566.93
6.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अन्तर्गत निवेश सहाय्य से संबंधित व्यय	474.73
7.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अन्तर्गत कृषि फसलों, बागवानी फसलों तथा वार्षिक लीज फसलों के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए कृषि आदान अनुदान	337.59
8.	मुख्य शीर्ष सड़कों एवं पुलों के अन्तर्गत जिला सड़कों तथा अन्य सड़कों तथा महानगरीय सड़कों का रखरखाव	296.72
9.	सहकारिता के अन्तर्गत सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों/लेनदारों को ब्याज अनुदान	260.04
10.	सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार के अंर्तगत निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति	128.45
11.	शहरी विकास के अन्तर्गत राजस्थान परिवहन ढॉचागत विकास निधि	110.98
12.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सीमावर्ती क्षेत्र विकास (सीएसएस) के लिए जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता) हेतु जारी निधियाँ	110.49
13.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मुख्यमंत्री नि:शुल्क जाँच योजना तथा मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना	107.62
14.	फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	106.03
15.	फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	100.54
	योग	**8,687.32**

यद्यपि इन व्ययों का विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर पर अथवा अनुदानों के लिए विस्तृत मांग के नीचे तथा सम्बन्धित शीर्षवार विनियोग लेखे, जोकि राज्य सरकार के लेखों के भाग हैं, में प्रदर्शित किया गया है, 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित वृहद् राशि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

सिफारिश 20 :

वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा व हक) के परामर्श से लेखों को अस्पष्टता से बचाने के लिए 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदर्शित होने वाले सभी मदों के लिए व्यापक समीक्षा आयोजित करनी चाहिये तथा भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियों और व्यय को उचित लेखाशीर्षो के अन्तर्गत पुस्तांकित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

अनादि मिश्र

(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

जयपुर,
25 जुलाई, 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
27 जुलाई, 2020